फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चन्द्रसिंह बनाम विपक्षी : श्री गोपालसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 85/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का जवाब पेश नही किया गया। जवाब का अनसार बद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार माननीय न्यायालय आप मे मूल वाद प्रकरण संख्या 168/21 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवान गोपाल सिंह बनाम चन्द्रसिंह व अन्य का विचाराधीन हैं। यह कि मूल वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गोपालसिंह बनाम चन्द्रसिंह प्रकरण संख्या 48/14 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिसमे दिनाक 03.02.2020 को मूल वाद के निर्णय तक सहमती के आधार पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी हुये तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व मे निरतारित हो चुका है जिसको छिपाकर प्रार्थीगण द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जिसे खारिज किये जाने का निवदेन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायालय सहायक कलेक्टर, (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर अनवान गोपालसिंह बनाम चन्द्रसिंह व अन्य प्रकरण संख्या 48/14 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आदेशिका व निर्णय दिनांक 03.02.2020 से पाया की प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 1663 रकबा 1 बिघा 7 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान की सहमती अनुसार मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। प्रकरण में पुर्व में ही उभय पक्षकारान को सहमती अनुसार मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की अपील न कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जो पोषणीय नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested